Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 17–2026] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 24, 2026 (VAISAKHA 4, 1948 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग षाखा)
गुरूग्राम सर्कल

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2026

संख्या 28GA-87D-16.— चूंकि हरियााणा के राज्यपाल को यह प्रतित होता है कि नीचे विनिदिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक परियोजना अर्थात् तावडू से सराय सड़क व तावडू सराय सड़क से गोयला डालावास सड़क तहसील तावडू जिला नूंह के लिए आपेक्षित हैं। इसलिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विषिष्ट में विरित भूमि उपयुक्त परियोजना के लिए आपेक्षित हैं।

यह अधिसूचना एल.ए.आर.आर. अधिनियम 2013 की धारा 11 के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है। जिनका इससे संबंध है।

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई षक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय कार्य में लगे हुए अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में वर्णित भूमि पर प्रवेष सर्वेक्षण तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित अनुमत सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत है।

भूमि के नक्षों का निरीक्षण भूमि अभिग्रहण कलैक्टर लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें गुरूग्राम व कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मंडल लोक निर्माण विभाग नूंह के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में इस भूमि के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप हों। इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषित या दो समाचार पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो 60 दिनों की अवधि के भीतर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें गुरूग्राम के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता हैं।

विषिष्टयां

जिला	तहसील	गांव का नाम	हदबस्त नं0	रकबा एकड़ में कनाल मरला	मुरब्बा संख्या	खसरा नं0 / कीला नं0	कुल रकबा कनाल मरला
नूंह	तावडू	गोयला	19	0 - 14	33	3 मिन	0 - 14

अपूर्व कुमार सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा), चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS DEPARTMENT (BUILDING AND ROADS BRANCH)
CIRCLE GURUGRAM

Notification

The 16th April, 2026

No. 28GA-87D-16.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specification mentioned below is needed urgently by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for Road from Tauru to Sarai and Tauru Sarai road to Dalabass Road in village Goela, Tehsil-Tauru, Distt. Nuh.

It is hereby notified that the land in the locality specified below is required for the above purpose.

This notification is made under the provisions of Section-11 of the New LARR Act 2013, for the information of all to whom it may concern.

In Exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana. is hereby authorizes the officers with their servants and workmen, for the time being engaged in undertaking to enter upon and survey in the locality and to do all other acts required or permitted by that section,

The Plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector/PWD B&R Br., Gurugram or Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Nuh.

Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality may within 60 days of the publication of the notification in the official gazette or in two newspapers or publicity of the notification ever is later file an objection in writing before the land acquisition collector, Haryana PWD B&R Br., Gurugram under the said act.

SPECIFICATION

Name of District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area in Acre	Rectangle	Khasra No./ 0-Killa No.	Total Area Kanal & Marla
Nuh	Tauru	Goela	19	0.0875	33	3 Min	0 - 14

APOORVA KUMAR SINGH,
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Public Works Department (Building and Roads Branch), Chandigarh.

12520—C.S.—H.G.P., Pkl.